न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 66 / 2015 / अपील

प्रहलाद (अपीलान्ट मृत)

1. तुलछाराम पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद
2. प्रकाश पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद
3. भंवरी पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद
4. सुगनी पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद
5. मोहरी पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद

समस्त जाति हरिजन निवासीगण मूण्डवाडा तहसील व जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवाना पुत्र श्री लादूराम
2. हीरा पुत्र श्री लादू
3. पन्नी पत्नी जमनाराम
   समस्त जाति बलाई निवासीगण मुण्डवाडा तहसील व जिला सीकर
4. ग्राम पंचायत मूण्डवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डवाडा तहसील व जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.07.2007 ग्राम पंचायत मूण्डवाड़ा

वकील अपीलांट श्री नोपाराम जांगिड़
वकील रेस्पोडेंट श्री सोहनलाल

दिनांकः–23.10.2019

निर्णय

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से अपीलान्ट के कब्जे, काश्त व खातेदारी अधिकार के खेत खसरा नम्बर 979 मे से होकर रास्ता आवागमन योग्य करने एवं भविष्य में सुचारू रखे जाने के लिए पाबन्द फरमाने का निर्णय दिनांक 28.07.2007 को पारित किया है तथा उक्त आज्ञा की अवहेलना पर नियमानुसार पेनल्टी कायम कर आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद से पंचायत स्तर पर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करने का आदेश रेस्पोडेंट नम्बर 4 ने दिया है। अदालत मातहत ग्राम पंचायत मूण्डवाडा ने अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये तथा बिना सुनाई का अवसर दिये बाला बाला कार्यवाही करके अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 के पक्ष में निर्णय दिया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 ने निर्णय दिनांक 20.07.2007 में अंकित वर्णित नोटिस कमांक 83 दिनांक 16.07.2007 जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 दिनांक 20.07.2007 की बैठक हेतु प्रेषित किया हुआ प्राप्त नही हुआ तथा न ही अन्य कोई नोटिस प्राप्त हुआ तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति बिना नोटिस दिये हुए दर्ज की है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 979, 978 व 989 सीकर से खुड़ जाने वाली सड़क के पूर्वी ओर अवस्थित है जो मौके पर एक

ही चक के रूप मे अवस्थित है तथा बीच में कोई सींव नींव नहीं है। उक्त वर्णित आराजियात में अपीलान्ट ने अपना कूप मकानात छान झूपें बना रखे है तथा अपीलान्ट व उसके लडके इनमे निवास करते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 979, 979 व 989 पश्चिमी सींव नींव फोडने एवं अपीलान्ट को बेदखल करने की कुचेष्टा की, तब अपीलान्ट ने एक वाद मुकदमा नम्बर 147/2007 माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर में बउनवानी प्रहलाद बनाम हीराराम आदि पेश किया जिस मुकदमा नम्बर 133/2007 में उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया गया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 द्वारा कथित रास्ता खेत खसरा नम्बर 979 मे से होकर कभी नही रहा तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 अपीलान्ट के खेत मे से होकर नया रास्ता कायम करना चाहते है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1ता 3 अपने खेतो में आवागमन हमेशा से सांवरमल व रामस्वरूप भातरा के खेते में से होकर जाते है। सीकर से खुड़ जाने वाली सड़क के पूर्व में अपीलान्ट का खेत खसरा नम्बर 979 है जिसकी नक्शा में दर्शित उतरी सीमा से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के खेत नजदीक है तथा जिस रास्ता से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 अपने उक्त खेतो मे जाते है उससे दूरी ज्यादा है। इसलिए उक्त रास्ता सुविधाजनक आवागमन का न होने के कारण अपीलाण्ट के खेत मे से होकर सीधा नया रास्ता कायम करना चाहते है तथा बिना किसी आधार के अदालत मातहत ने अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 979 में से होकर रास्ता मानने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मूण्डवाड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.07.2007 प्रस्ताव संख्या 4 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा द्वारा दिनांक 20.07.2007 को आदेश पारित कर ग्राम मूण्डवाड़ा के खसरा नम्बर 1251, 52, 53/980 में आने–जाने हेतु खेत खसरा नम्बर 979 में बन्द रास्ते को खुलवाने बाबत पारित किया हुआ हैं। अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व खातेदारान/अपीलांटान को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं खातेदारान/अपीलांटान को सुनवाई/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्व खातेदार प्रहलाद वल्द हणमान कोम बलाई को दिनांक 07.07.2007 को नोटिस जारी किया गया जिस पर नोटिस लेने से इन्कारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई एंव इसके पश्चात् दिनांक 16.07.2007 को जारी नोटिस पर भी नोटिस लेने से इन्कारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके पश्चात् प्रहलाद वल्द हणमान के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, जिसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 20.07.2007 को जारी किया हुआ है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मूण्डवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2007 को पारित किया हुआ है एवं अपीलार्थी के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 20.07.2007 को भिजवाया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रति में वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी

Web Copy - Not Official

आदेश भी पारित किया हुआ प्रकट हो रहा है। उक्त आराजियात सहायक कलक्टर सीकर के न्यायालय में भी वादरत रही है। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में भी वादग्रस्त अराजियात बाबत अपीलांट व रेस्पो. के मध्य सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सीकर के न्यायालय में रेवेन्यू वाद लम्बित होने बाबत अंकित किया हुआ है। चूंकि अपीलाधीन आदेश बाबत बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा बन्द रास्ते को खुलवाने के सम्बंध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 में पारित शक्तियों के सम्बंध में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2009 को जारी अधिसूचना में उक्त शक्तियां प्रत्याहरित की जा चुकी है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह जाहीर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया है एवं वादग्रस्त आराजियात भिन्न भिन्न न्यायालयों में वादरत रहा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2007 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार धोद को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में अन्य न्यायालयों के समक्ष वाद/अपील विचाराधीन होने सम्बंधी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करते हुए एवं पक्षकारों को सुनते हुए एक माह की अवधि में पुनः निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 13.11.2019 को तहसीलदार धोद के न्यायालय में उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official